राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 953वी बैठक दिनांक 29.06.2026 का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) मध्यप्रदेश की 953वी बैठक दिनांक 29.06.2026 को श्री शिव नारायण सिंह चौहान, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की अध्यक्षता में एप्को, पर्यावरण परिसर, भोपाल में निम्नानुसार सदस्यों की उपस्थिति में सम्पन्न हुई :–

1. डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।
2. श्री. सुधीर कुमार कोचर, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गये:–

क्र	प्रकरण क्र.	अधिसूचित श्रेणी	जिला	परियोजना	SEAC द्वारा अनुशंसित/ परिवेश पोर्टल पर आवेदित	प्राधिकरण का निर्णय
1.	P2/2387/2026	1(a)	धार	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	ADS जारी किया जाये।
2.	P2/2395/2026	1(a)	राजगढ़	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
3.	P2/2399/2026	1(a)	रतलाम	मुरूम खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
4.	P2/2401/2026	1(a)	रतलाम	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	ADS जारी किया जाये।
5.	573/2010	2(b)	जबलपुर	Iron Ore Benificiation Plant	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण जारी की जाये।
6.	P2/2405/2026	1(a)	उज्जैन	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
7.	6555/2019	1(a)	मंदसौर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण जारी की जाये।
8.	P2/1409/2025	1(a)	भिण्ड	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
9.	P2/2438/2026	1(a)	सीहोर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	ADS जारी किया जाये।
10.	P2/2188/2025	1(a)	सागर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
11.	P2/2302/2026	8(a)	भोपाल	भवन निर्माण	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
12.	11180/2023	1(a)	जबलपुर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।

30/6/26   30/6/26

(सुधीर कुमार कोचर)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिह चौहान)
अध्यक्ष

13.	2105/2014	1(a)	शाजापुर	पत्थर एवं मुरूम खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
14.	P2/1902/2025	1(a)	शाजापुर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
15.	P2/1698/2025	1(a)	धार	पत्थर एवं मुरूम खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
16.	9670/2023	1(a)	कटनी	डोलोमाईट खदान	माननीय एनजीटी (CZ) द्वारा पारित आदेश का परिपालन	परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित।
17.	7570/2020	1(a)	खण्डवा	पत्थर खदान	माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित आदेश का परिपालन	परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित।
18.	79/2008	1(a)	कटनी	चूनापत्थर खदान	अधिरोपित पर्यावरण क्षतिपूर्ति अर्थदण्ड राशि जमा करवाये जाने हेतु	म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सूचित किया जाये।
19.	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दु					

(सुधीर कुमार कोचर)
सदस्य सचिव
30/6/26

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य
30/6/26

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 953वी बैठक दिनांक 29.06.2026 का कार्यवाही विवरण

1. **Proposal No.SIA/MP/MIN/553619/2026, Case No. P2/2387/2026 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of 1.60 ha., for production capacity of Gitti – 3750 cubic meter per year & M-sand – 11250 cubic meter per year, at khasra No. 28 Peki, Village – Bamankhedi, Tehsil Sardarpur, District - Dhar (M.P.) by Shri Lalit Patidar, Lessee, R/o Village Dasai,Tehsil Sardarpur, District Dhar (M.P)**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **884वी बैठक दिनांक 15.04.2026** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

1. प्रश्नाधीन प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति हेतु परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन के साथ अपलोड किये गये दस्तावेजों के साथ संलग्न पर्यावरण सलाहकार के शपथ पत्र में पर्यावरण सलाहकार द्वारा Original हस्ताक्षर न करते हुए Scan हस्ताक्षर लगाये है जो कि प्राधिकरण द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 13.10.2021 का उल्लघंन है।
2. ईएमपी के हेल्थ इमरजेन्सी फण्ड में माईन्स वर्कर के लिये जो फण्ड आवंटित किया गया है वह Sufficient नहीं है पुनः संशोधित ईएमपी प्रस्तुत की जावे।
3. ईएमपी रेस्क्यू प्लान में मेडिकल ट्राएज फैसिलिटी एवं मेडिकल इन्टरवेंशन फैसिलिटी के लिये बजट का प्रावधान नहीं किया गया है।
4. आपातकालीन स्थिति के लिये खदान में प्रशिक्षित रेस्क्यू टीम और रेस्क्यू रूम का कोई प्रावधान नहीं दिया गया है।
5. CER प्लान क्षेत्रीय आवश्यकता के आधार पर रिवाईज्ड कर प्रस्तुत करें।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त बिन्दुओं के दृष्टिगत परियोजना प्रस्तावक द्वारा Original हस्ताक्षरित नवीन शपथ पत्र एवं पुनरीक्षित ईएमपी 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

30/6/26 30/6/26

(सुधीर कुमार कोचर) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

2. Proposal No.SIA/MP/MIN/569586/2026, Case No. P2/2395/2026Prior Environmental Clearance for Stone Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of 1.00 hectare, for production capacity of Gitti 10,000 m3/year & M-Sand15,000 m3/year, at khasra no. 94/1/1/1, 95/2, 95/1, Village-Pilukhedi, Tehsil-Narsinghgarh, District- Rajgarh (M.P.) by Shri Shravan Patidar, R/o-Village - Eklera, Tehsil-Narsinghgarh, District - Rajgarh (M.P.)- 465680

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **886वी बैठक दिनांक 22.04.2026** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तो एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEACकी 886वी बैठक दिनांक 22.04.2026 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला राजगढ़ द्वारा पत्र क्र. I/435909/2025 दिनांक 14.08.2025 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 13.08.2035 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपना कर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **नाले से न्यूनतम 50 मीटर तकनो माइनिंग जोन"** के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईएमपी रेस्क्यू प्लान में मेडिकल ट्राएज फैसिलिटी एवं मेडिकल इन्टरवेंशन फैसिलिटी का प्रावधान किया जायेगा एवं आपातकाल की स्थिति में प्रशिक्षित रेस्क्यू टीम और रेस्क्यू रूम का भी अनिवार्यत प्रावधान किया जायेगा है। उक्त शर्त का परिपालन कर छःमासी अनुपालन प्रतिवेदन के साथ मय दस्तावेजों के अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।

(v) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।**

30.6.26

(सुधीर कुमार कोचर)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(vi) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) करवाये जाने हेतु जिला कलेक्टर द्वारा जिला स्तर पर 02 वरिष्ठ अधिकारियों (जिसमें 01 अधिकारी वन विभाग को हो) को अधिकृत किया जावे जिनके द्वारा संयुक्त भौतिक सत्यापन कर अनुमति की शर्त अनुसार किये गये वृक्षारोपण की जानकारी अनिवार्यतः जिला कलेक्टर एवं जिला कलेक्टर के माध्यम से प्राधिकरण को उपलब्ध करावाई जाये।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMSकी अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए किपूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEACकी अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा नजदीकी शासकीय स्कूल में जिला कलेक्टर्स से परामर्श कर आवश्यकतानुसार सामग्री अनिवार्यतः उपलब्ध कराई जावेगी।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र के गॉव व नजदीकी गॉव के शासकीय विद्यालय/शासकीय कन्या विद्यालय में बालिकाओं के लिये सेनेटरी पेड की वेन्डिंग मशीन की स्थापना अनिवार्यतः की जायेगी एवं 05 वर्ष तक रिफिलिंग का कार्य परियोजना प्रस्तावक द्वारा ही सुनिश्चित किया जायेगा।
- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

30.6.26

(सुधीर कुमार कोचर)	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

3. **Proposal No.SIA/MP/MIN/561875/2026, Case No. P2/2399/2026 Prior Environmental Clearance for Murram Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of 2.0 Ha., for production capacity of 10,000 m3 /Year, at Khasra No.- 04, Village - Khamariya, Tehsil - Alot, District - Ratlam (M.P) by Shri Mahesh Tank, Lessee, R/o-03 Kanya Shala Ground Alot, District-Ratlam, M.P.**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **886वी बैठक दिनांक 22.04.2026** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEACकी 886वी बैठक दिनांक 22.04.2026 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल द्वारा पत्र क्र. I/486777/2025 दिनांक 09.09.2025 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 08.09.2035 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपना कर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **इलेक्ट्रिक लाईन से न्यूनतम 50 मीटर तक "नो माइनिंग जोन"** के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईएमपी रेस्क्यू प्लान में मेडिकल ट्राएज फैसिलिटी एवं मेडिकल इन्टरवेंशन फैसिलिटी का प्रावधान किया जायेगा एवं आपातकाल की स्थिति में प्रशिक्षित रेस्क्यू टीम और रेस्क्यू रूम का भी अनिवार्यत प्रावधान किया जायेगा है। उक्त शर्त का परिपालन कर छःमासी अनुपालन प्रतिवेदन के साथ मय दस्तावेजों के अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।

(v) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।**

30.6.26

(सुधीर कुमार कोचर) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

(vi) **परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।**

(vii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) करवाये जाने हेतु जिला कलेक्टर द्वारा जिला स्तर पर 02 वरिष्ठ अधिकारियों (जिसमें 01 अधिकारी वन विभाग को हो) को अधिकृत किया जावे जिनके द्वारा संयुक्त भौतिक सत्यापन कर अनुमति की शर्त अनुसार किये गये वृक्षारोपण की जानकारी अनिवार्यतः जिला कलेक्टर एवं जिला कलेक्टर के माध्यम से प्राधिकरण को उपलब्ध करावाई जाये।**

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMSकी अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए किपूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEACकी अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा नजदीकी शासकीय स्कूल में जिला कलेक्टर्स से परामर्श कर आवश्यकतानुसार सामग्री अनिवार्यतः उपलब्ध कराई जावेगी।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र के गॉव व नजदीकी गॉव के शासकीय विद्यालय/शासकीय कन्या विद्यालय में बालिकाओं के लिये सेनेटरी पेड की वेन्डिंग मशीन की स्थापना अनिवार्यतः की जायेगी एवं 05 वर्ष तक रिफिलिंग का कार्य परियोजना प्रस्तावक द्वारा ही सुनिश्चित किया जायेगा।
- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

30.6.26

(सुधीर कुमार कोचर)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

4. Proposal No.SIA/MP/MIN/560307/2026, Case No. P2/2401/2026 Prior Environmental Clearance for Stone Quarry (Opencast semi mechanized method), for in an area of 1.80 ha., for production capacity for Stone (Gitti) 5,000 m3/ Year & M-Sand 7,000 m3/Year, at Khasra No.- 930, 933/7, 933/8, 934, 936/13 & 936/14, Village Pipalkhedi, Tehsil- Tal, District: - Ratlam (M.P) by Smt. Anita Patidar, Lessee, R/o- Bahi Parshwanath, District Mandsaur, M.P.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **886वी बैठक दिनांक 22.04.2026** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

1. प्रश्नाधीन प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति हेतु परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन के साथ अपलोड किये गये दस्तावेजों के साथ संलग्न कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के लीज स्वीकृति आदेश दिनांक 30.09.2025 में के अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदित खसरा नम्बर **933/1, 933/2, 933/7, 933/8, 934/1, 934/2, 933/7, 933/8, 936/13, 936/14, 897 & 930** कुल रकबा 3.30 हेक्टेयर में से खसरा नम्बर **930, 933/7, 933/8, 934, 936/13 & 936/14** के रकबा 1.80 हेक्टेयर की स्वीकृति प्रदान की गई है किन्तु स्वीकृत लीज क्षेत्र के खसरा नम्बरों में सम्मिलित खसरा नम्बर 934 से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि खसरा नम्बर 934/1 अथवा 934/2 को सम्मिलित किया गया है। अतः उपरोक्त के संबंध जिला कलेक्टर से स्पष्ट अभिमत प्राप्त किया जाये।
2. ईएमपी के हेल्थ इमरजेन्सी फण्ड में माईन्स वर्कर के लिये जो फण्ड आवंटित किया गया है वह Sufficient नहीं है पुनः संशोधित ईएमपी प्रस्तुत की जावे।
3. ईएमपी रेस्क्यू प्लान में मेडिकल ट्राएज फैसिलिटी एवं मेडिकल इन्टरवेंशन फैसिलिटी के लिये बजट का प्रावधान नहीं किया गया है।
4. आपातकालीन स्थिति के लिये खदान में प्रशिक्षित रेस्क्यू टीम और रेस्क्यू रूम का कोई प्रावधान नहीं दिया गया है।
5. CER प्लान क्षेत्रीय आवश्यकता के आधार पर रिवाईज्ड कर प्रस्तुत करें।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त बिन्दु कमांक 1 के संबंध में कलेक्टर जिला रतलाम से स्पष्ट अभिमत प्राप्त किया जाये कि लीज स्वीकृति आदेश में सम्मिलित खसरा नम्बर 934/1 अथवा 934/2 है एवं बिन्दु कमांक 2 से 5 के संबंध में जानकारी परियोजना प्रस्तावक द्वारा 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

30.6.26

(सुधीर कुमार कोचर)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

5. Proposal No. SIA/MP/IND1/572138/2026; Case No.: 573/2010: Transfer of Environmental Clearance for M/s Syna Steels And Metals Pvt. Ltd. (Formerly Known As Jain Mines & Minerals (India) Pvt. Ltd. at Plot No. 65, 66, 67, 74, 75, & 76, Industrial Area Village Hargarh, Tehsil Sihora, Distt. Jabalpur (M.P.). Product & Capacity: Iron Ore Beneficiation- 90,000.00 TPA. Land Area - 2.429 Ha. by Shri Abhyuday Agrawal, Director M/s. Syna Steels & Matels Private Limited (Formerly Jain Mines & Minerals (I) Pvt Ltd.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 887वी बैठक दिनांक 25.04.2026 में EC हस्तांतरण किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के OM दिनांक 03.11.2023 के बिंदु क्रमांक 4 एवं 5 में निम्नानुसार उल्लेखित है कि :

.......4. It has now been brought to notice that there is ambiguity with regard to the term validity of the prior EC within which the EC has to be transferred. The matter has been examined in the Ministry and it is clarified that the "Validity of Environmental Clearance" involves two phases of the project, which are validity of Construction or Installation Phase and validity of Operational Phase.

5. The validity of construction or installation phase means duration from the date of grant of prior EC by the Regulatory Authority for projects other than mining (item 1(a) of the Schedule) for:-

a) Completion of all construction activities, in case of construction projects (item 8 of the Schedule), to which the application for prior-EC, refers to and, shall be limited only to such activities as may be the responsibility of the project proponent as a developer. Or;

b) Completion of installation of plant and machinery including commencement of production/operation in all other cases (other than item 8 of the Schedule), to which the application for prior-EC, refers to.

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 887वी बैठक दिनांक 25.04.2026 में की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए एवं भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 03.11.2023 के अनुसार प्रकरण में ईआईए अधिसूचना 2006 (पैरा–11) के अनुसार पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु प्रस्तुत उपरोक्त दस्तावेजों के परीक्षण एवं पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि पूर्व परियोजना प्रस्तावक M/s Jain Mines and Minerals (India) Pvt. Ltd., Director Shri Abhyuday Agrawal, S/o Shri S.K. Agrawal, , Plot No 65, 66 & 67, Industrial Area Village - Hargarh, Tehsil - Sihora, Distt. Jabalpur (M.P.) Product & Capacity: Iron Ore Beneficiation 90,000.00 TPA के नाम को जारी पूर्व पर्यावरण स्वीकृति को नवीन परियोजना प्रस्तावक M/s Syna Steels And Metals Pvt. Ltd. Director Shri Abhyuday Agrawal, S/o Shri S.K. Agrawal, at Plot No.- 65, 66, 67, 74, 75, & 76, Industrial Area Village Hargarh, Tehsil Sihora, Distt. Jabalpur (M.P.), के नाम निम्नानुसार अतिरिक्त शर्त के साथ हस्तांतरित किया जाता है :–

I. उपरोक्त पूर्व पर्यावरण स्वीकृति पत्र 837 दिनांक 14.12.2011 में निहित समस्त विशिष्ट एवं साधारण शर्तें यथावत रहेगी।

30.6.26

(सुधीर कुमार कोचर) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

MG

II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों, पर्यावरण प्रबंधन योजना (EMP), पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों तथा लागू वैधानिक प्रावधानों का निर्माण/स्थापना एवं संचालन चरण के दौरान कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

III. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अथवा स्थानांतरण के संबंध में समय–समय पर जारी दिशा–निर्देश/स्पष्टीकरण परियोजना प्रस्तावक पर बाध्यकारी होंगे।

तदानुसार सर्वसंबंधितो को सूचित किया जाये।

30.6.26

(सुधीर कुमार कोचर)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

6. Proposal No.SIA/MP/MIN/572366/2026, Case No. P2/2405/2026Prior Environmental Clearance for Stone Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of 1.00 Ha., for production capacity of Gitti -8040 Cum Per Annum and M – Sand 3960 Cum Per Annum, at Khasra No. 151/2, Village Kesuni, Tehsil Ujjain, District Ujjain (M.P) by Shri Harsh Mehta, Lessee, R/o-40, Mahashweta Nagar Ujjain, Dist. Ujjain (M.P.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **887वी बैठक दिनांक 25.04.2026** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

1. प्रश्नाधीन प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति हेतु परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन के साथ अपलोड किये गये अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश अनुसार गुगल ईमेज के आधार पर लीज क्षेत्र से लगी हुई एक कच्ची सड़क एवं कृषि भूमि परिलक्षित है। उक्त के दृष्टिगत कच्ची सड़क से निर्धारित दूरी 50 मीटर एवं कृषि भूमि से तीनो ओर निर्धारित दूरी 25–25 मीटर तक छोड़ने के पश्चात् खनन योग्य क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त बिन्दु के दृष्टिगत प्रकरण निरस्त किये जाने से पूर्व परीक्षण एवं अभिमत हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

30.6.26

(सुधीर कुमार कोचर)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

7. **Proposal No.SIA/MP/MIN/558730/2026, Case No. 6555/2019 Prior Environmental Clearance for Stone Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of - 2.0 Ha. for production capacity of Stone 15132 Cum Per Annum, at Khasra No. 300, Village Basai, Suwasara, Mandsaur (M.P.) by Shri Pushpraj Singh, R/o Village Sakhtali, Tehsil Sitamur, District Mandsaur (MP) regarding transfer of EC in the name of Shri Nilesh Gupta, Individual, R/o-Guradiya Vijay, Tehsil Suwasara District Mandsaur (M.P.)**

प्रश्नाधीन प्रकरण में राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 887वी बैठक दिनांक 25.04.2026 में निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :–

.... The committee observed the documents and information submitted on the Portal in view of MoEF&CC OM 03/11/2023, 19.02.2025 the said application for transfer of EC. The lease transfer date 17/06/2025 and application for EC transfer is 11/03/2026 on portal. The application for EC transfer is made well within 12 months hence committee finds it fit to recommend for transfer of EC.

It is mentioned that the cases of EC transfer applied well within one year period need not to be routed through SEAC, this may be brought to the notice of MoEF&CC for necessary correction in the Parivesh Portal...

अतः राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (**SEIAA**) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में ईआईए अधिसूचना 2006 (पैरा–11) के अनुसार पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों के परीक्षण एवं पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत **SEAC** की 887वी बैठक दिनांक 25.04.2026 में की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए निर्णय लिया गया कि पूर्व परियोजना प्रस्तावक **Shri I Patric Dhanraj, R/o 101-c, Parwani complex, Civil Line, Raipur (CG)-492001** के नाम **Manganesc Ore Mine (Opencase Mechanized and Underground Method) in an area of 40.47 ha., for ProducationCapicity of 30,000 TPA, at Khasra No. 37/5, Village-Ghondi, Tehsil-Paraswara (Baihar), Distt- Balaghat (MP)** की जारी पूर्वपर्यावरणीय स्वीकृति को नवीन परियोजना प्रस्तावक**Shri Manish Singh, Partner, Guruji Minirals, C- 514 Prakriti Eden Elite Bawaria Kalan Bhopal (MP)** के नाम निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तों के साथ हस्तांतरित किया जाता है :–

I. उपरोक्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्रं. 3608–08 दिनांक 23.12.2019 में निहित विशिष्ट एवं साधारण समस्त शर्ते यथावत रहेगी तथा पर्यावरणीय स्वीकृति की कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंदसौर के लीज हस्तांतरण आदेश क्रमांक 988 दिनांक 17.06.2025 के अनुसार दिनांक 04.01.2031 तक वैध मान्य रहेगी।

II. नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त विशिष्ट एवं साधारण शर्तों अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जाये एवं भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ईआईए अधिसूचना 2006 एवं कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 14.06.2022 में निर्धारित प्रावधान एवं प्रक्रिया अनुसार शर्तों का छःमाही अनुपालन प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से परिवेश पोर्टल अपलोड किया जाये एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भी प्रेषित किया जाये।

30.6.26

(सुधीरकुमार कोचर) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

III. नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

तदानुसार सर्वसंबंधितो को सूचित किया जाये।

30.6.26

(सुधीर कुमार कोचर)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

8. Proposal No.SIA/MP/MIN/572907/2026, Case No.P2/1409/2025Prior Environmental Clearance for Stone Mine (Opencast semi mechanized method), in an area of 1.020 ha., for production capacity of 10,000 Cub meters per year, at Khasra no. - 2449, 2450/1, 2450/2, 2451, Village-Pali Dirman, Tehsil - Gohad, District - Bhind (M.P.) by Shri Atul Kumar Mangal, Partner, BaradriChauraha Murar, Near Grover Nurshing Home, Districtt- Gwalior (M.P.) – 474006

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **886वी बैठक दिनांक 22.04.2026** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

1. प्रश्नाधीन प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति हेतु परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन के साथ अपलोड किये गये जनसुनवाई प्रतिवेदन के अवलोकन पश्चात् पाया गया कि जनसुनवाई के दौरान आस–पास के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों द्वारा आपत्तियां उठाई गई है। उक्त जनसुनवाई के दौरान उठाई गई आपत्तियों के संबंध में SEAC द्वारा भी अपने कार्यवाही विवरण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त बिन्दु के दृष्टिगत जनसुनवाई के दौरान ग्रामवासियों द्वारा उठाई गई आपत्तियों के संबंध में अभिमत प्राप्त किये जाने हेतु प्रकरण परीक्षण के लिये SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

30.6.26

(सुधीर कुमार कोचर) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

9. **Proposal No.SIA/MP/MIN/562056/2026, Case no. P2/2438/2026Prior Environmental Clearance for Stone Mine (Opencast semi mechanized method), in an area of 3.55 Ha., for production capacity of 29,925 Cubic meters per year, at Khasra no.81/1, in Village Semri, Tehsil Rehti, District Sehore (M.P.) by Shri Arvind Rajput, Ragav Nagar, Rasuliya, Narmadapuram Dist. Narmadapuram (M.P.)461001**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **887वी बैठक दिनांक 25.04.2026** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

1. ईएमपी के हेल्थ इमरजेन्सी फण्ड में माईन्स वर्कर के लिये जो फण्ड आवंटित किया गया है वह Sufficient नहीं है पुनः संशोधित ईएमपी प्रस्तुत की जावे।
2. ईएमपी रेस्क्यू प्लान में मेडिकल ट्राएज फैसिलिटी एवं मेडिकल इन्टरवेंशन फैसिलिटी के लिये बजट का प्रावधान नहीं किया गया है।
3. आपातकालीन स्थिति के लिये खदान में प्रशिक्षित रेस्क्यू टीम और रेस्क्यू रूम का कोई प्रावधान नहीं दिया गया है।
4. CER प्लान क्षेत्रीय आवश्यकता के आधार पर रिवाईज्ड कर प्रस्तुत करें।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) **द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त बिन्दुओं के दृष्टिगत परियोजना प्रस्तावक द्वारा पुनरीक्षित ईएमपी 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।**

30.6.26

(सुधीर कुमार कोचर) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

10. Proposal No.SIA/MP/MIN/553794/2025, Case No.P2/2188/2025Prior Environmental Clearance for Stone Mine (Opencast semi mechanized method), in an area of 1.00 ha., for production capacity of 10002 cum per annum, at Khasra No. 20, Village - Sirchopi Tehsil - Bina District - Sagar (M.P.) by Shri Pushpendra Dangi, Owner, R/o - Gram - Sirchopi, Tehsil - Bina, District - Sagar 470013

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **887वी बैठक दिनांक 25.04.2026 एवं 861वी बैठक दिनांक 16.01.2026** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 887वी बैठक दिनांक 25.04.2026 एवं 861वी बैठक दिनांक 16.01.2026 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर द्वारा पत्र क्र. 548 दिनांक 03.04.2025 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 02.04.2035 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपना कर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(iii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व खदान क्षेत्र के चारो ओर 04 मीटर हाईट की जीआई शीट्स का निर्माण किया जायेगा।**

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईएमपी रेस्क्यू प्लान में मेडिकल ट्राएज फैसिलिटी एवं मेडिकल इन्टरवेंशन फैसिलिटी का प्रावधान किया जायेगा एवं आपातकाल की स्थिति में प्रशिक्षित रेस्क्यू टीम और रेस्क्यू रूम का भी अनिवार्यत प्रावधान किया जायेगा है। उक्त शर्त का परिपालन कर छःमासी अनुपालन प्रतिवेदन के साथ मय दस्तावेजों के अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।

(v) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।**

(vi) **परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।**

30.6.26 | 30/6/26

(सुधीर कुमार कोचर) सदस्य सचिव | (डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य | (शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

(vii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) करवाये जाने हेतु जिला कलेक्टर द्वारा जिला स्तर पर 02 वरिष्ठ अधिकारियों (जिसमें 01 अधिकारी वन विभाग को हो) को अधिकृत किया जावे जिनके द्वारा संयुक्त भौतिक सत्यापन कर अनुमति की शर्त अनुसार किये गये वृक्षारोपण की जानकारी अनिवार्यतः जिला कलेक्टर एवं जिला कलेक्टर के माध्यम से प्राधिकरण को उपलब्ध करावाई जाये।**

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMSकी अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए किपूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEACकी अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा नजदीकी शासकीय स्कूल में जिला कलेक्टर्स से परामर्श कर आवश्यकतानुसार सामग्री अनिवार्यतः उपलब्ध कराई जावेगी।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र के गॉव व नजदीकी गॉव के शासकीय विद्यालय/शासकीय कन्या विद्यालय में बालिकाओं के लिये सेनेटरी पेड की वेन्डिंग मशीन की स्थापना अनिवार्यतः की जायेगी एवं 05 वर्ष तक रिफिलिंग का कार्य परियोजना प्रस्तावक द्वारा ही सुनिश्चित किया जायेगा।
- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

30.6.26	30/6/26	
(सुधीर कुमार कोचर)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

11. Proposal No.: SIA/MP/INFRA2/566500/2026; Case No.: P2/2302/2026: Prior Environmental Clearance for Residential Project " Sagar Sunrise-II" proposed site of 12459.85 SQM is located at Khasara No. 108/5/1 (Shamil khasara 108/6/1), 108/5/2 (shamil khasra 108/6/1) and 108/6/2 at Village- Misrod , Tehsil - Kolar Dist-Bhopal (M.P.). Built-up Area 28901.28 sq.mt. by Shri Sagar Agrawal, Partner, Agrawal Builders & Colonizers Co, The Sagar E2/4, Arera Colony, Bhopal (M.P.)-462016.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 887वी बैठक दिनांक 25.04.2026 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :-

1. उपरोक्त विषयांकित आवासीय परियोजना "Sagar Sunrise-II" खसरा क्रमांक 108/5/1 (शामिल खसरा 108/6/1), 108/5/2 (शामिल खसरा 108/6/1) एवं 108/6/2, ग्राम मिसरोद, तहसील कोलार, जिला भोपाल (मध्य प्रदेश) में स्थित है। यह परियोजना प्रस्ताव Shri Sagar Agrawal, Partner The Sagar E2/4, Arera Colony, Bhopal, 462016 द्वारा प्रस्तुत पूर्व पर्यावरण स्वीकृति का है।
2. परियोजना का कुल स्थल क्षेत्रफल 12,459.85 वर्गमीटर है तथा परियोजना का कुल निर्मित क्षेत्रफल (Built-up Area) 28,901.28 वर्गमीटर है, जो 1,50,000 वर्गमीटर से कम है अतः यह परियोजना पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) अधिसूचना, 2006 एवं उसके समय-समय पर किए गए संशोधनों के अनुसार श्रेणी 'बी', अनुसूची 8(a) Building and Construction Project के अंतर्गत शामिल है।
3. उक्त प्रकरण को राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 887वी बैठक दिनांक 25.04.2026 में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किए जाने हेतु अनुशंसा की गई है। उक्त बैठक की कार्यवाही विवरण में पृष्ठ क्रमांक 37 से 46 तक अंकित है।
4. परियोजना का विवरण निम्नानुसार है:-

SN		Project Details
1.	Name of the Project	Prior Environmental Clearance for Residential Project "Sagar Sunrise-II") proposed site of 12459.85 sq.mt. is located at Khasara No 108/5/1 (Shamil khasara 108/6/1), 108/5/2 (shamil khasra 108/6/1) and 108/6/2 at Village Misrod, Tehsil Kolar Dist Bhopal (M.P.).
2.	Project Cost.	5200 Lakhs.

30/6/26 30/6/26

(सुधीर कुमार कोचर)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

3.	**CTE details.**	Consent No: CTE-63562 Date of consent issued 23/12/2025, Validity of consent (Valid up to)- 30-11-2030. Built-up Area - 28901.28 sqmtr.
4.	**Lat./Log. (as per Conceptual Plan).**	23° 9' 31.65"N, 77°27' 10.59 "E , 23°9' 29.64"N , 77°27'10.34"E 23° 9'31.61"N , 77°27'15.51"E , 23° 9'29.20"N 77°26'16.98"E
5.	**Development Permission**	Letter No. 4185 /Ka. Prako/2025 BMC/Bhopal dt. 17/09/2025.
6.	**T&CP Permission.**	Letter No. BPLLP20062507822 dated 09.04.2025.
7.	**MSW NOC.**	Letter No. 74 /Zone-18/BMC/Bhopal dt. 04/072025.
8.	**Waste water disposal NOC.**	Letter No. 460 / BMC/Bhopal dt. 11/07/2025.
9.	**Wate NoC.**	Letter No. 61 /Zone-18/BMC/Bhopal dt. 26/06/2025.

Salient features of the Project:

Facility	Residential Complex with : Total Number of Flats : 132 (3 BHK – 74 flats, 4 BHK - 40 flats, LIG-7, EWS-11) Total No of Duplex : 20 , Shop cum Residential Duplex: 12
Total Project Area	12459.85 SQM
Net Planning area	10311.41 sq mtrs
Total Built-up Area	28901.28 Sq mtrs
Total Water Requirement	118.17 KLD
Net Fresh Water Requirement	81.27 KLD
Total Waste Water Generation	107.10 KLD
Power Requirement	660 KVA/528KW
Backup Power facility	200 KVA of DG set
Solar Unit	20 kw
Solid Waste generation	451 Kg per Day
Height of buildings	30 M

30/6/26

(सुधीर कुमार कोचर)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

Total no of Block for Multi Storey Building	2 nos
Front MOS	12 m.
Rear MOS	7.5 m.
Width of main assess	24 M
Parking area	6186.15 SQM
Number of vehicle to be parked	225 No.
Area under Green belt	1343.05 sq mtrs
Area under Roads & circulation	3054.73

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत जानकारी व अभिप्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति **(SEAC)** की **887**वी बैठक दिनांक **25-04-2026** की अनुशंसा एवं अधिरोपित शर्तों को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण **(SEIAA)**की **953**वीं बैठक दिनांक **29-06-2026** में मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से, मानक शर्तों (परिशिष्ट–**1**) एवं निम्न विशिष्ट शर्तों **(i** से **viii)** के साथ परियोजना प्रस्तावक को **EIA** अधिसूचना **2006** एवं यथासंशोधित के अंतर्गत पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

i. परिवेश पोर्टल पर अपलोड परियोजना की जून 2024 की गूगल ईमेज अनुसार परियोजना स्थल खाली है, अप्रैल 2025 की गूगल इमेज अनुसार आवेदित क्षेत्र के पूर्व दिशा में मिट्टी का ढेर परिलक्षित है एवं अप्रैल 2026 की गूगल ईमेज अनुसार आवेदित क्षेत्र में निर्माण कार्य परिलक्षित है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा परियोजना स्थल का SEAC समिति से भौतिक सत्यापन करवाया जाये एवं स्थल निरीक्षण की रिपोर्ट प्राधिकरण में 01 माह में प्रस्तुत की जाये, इसके उपरांत ही परियोजना स्थल पर कार्य प्रारंभ किया जायेगा। यदि स्थल निरीक्षण उपरांत परियोजना स्थल पर निर्माण कार्य होना पाया जाता है तो प्रकरण में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मान्य होगी।

ii. भूमि स्वमित्व के दस्तावेजों में किसी प्रकार की विवादस्पद के स्थिति में परियोजना प्रस्तावक की स्वयं की जवाबदारी होगी।

iii. परियोजना के तहत भवन के चारों ओर खुले स्थान एवं रोड़ चौड़ाई हेतु मध्यप्रदेश भूमि विकास निगम 2012 (यथा संशोधित) के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

iv. परियोजना स्थल पर अग्निरोधी शमन उपायों का अनिवार्य रूप से क्रियान्वित किया जाना होगा, इन कार्यो में नेशनल बिल्डिंग कोड 2016(यथा संशोधित) के मानक अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।

30/6/26

(सुधीर कुमार कोचर)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

v. परियोजना अंतर्गत कार्बन फुट प्रिंट को कम करने के लिये 30%गैर पांरपरिक ऊर्जा का उपयोग किया जाये एवं CO_2 उत्सर्जन पर नियंत्रण के उपायों पर भी व्यापक कार्य योजना बनाकर इसे कम करने हेतु सभी संभावित कार्य अनिवार्य रूप से किये जाये।

vi. परियोजना स्थल के चारों ओर ग्रीन बेल्ट विकसित किया जाना सुनिश्चित करें। काटे जाने वाले वृक्षों के एवज में 10 गुनी संख्या में वृक्षों का रोपण अनिवार्य रूप से किये जाये।

vii. परियोजना स्थल पर ई–वाहनों के चार्जिंग पॉइंट उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

viii. प्रस्तावित भवन में बेसमेंट भी प्रस्तावित है। इस हेतु संपूर्ण सुरक्षात्मक उपायों का पालन परियोजना प्रस्तावक को करना होगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी प्रकार की जन–धन हानि न हो।

ix. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEACकी अनुशंसित सीएसआर/सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीएसआर/सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा नजदीकी शासकीय विद्यालय/शासकीय कन्या विद्यालय में बालिकाओं के लिये सेनेटरी पेड की वेन्डिंग मशीन की स्थापना अनिवार्यतः की जायेगी एवं 05 वर्ष तक रिफिलिंग का कार्य परियोजना प्रस्तावक द्वारा ही सुनिश्चित किया जायेगा।

(सुधीर कुमार कोचर) सदस्य सचिव 30/6/26	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

12. Proposal No. SIA/MP/MIN/520874/2025 Case No 11180/2025 Prior Environment Clearance for Stone Mine (Opencast semi mechanized method), in an area of 4.00 ha., For Production Capacity of -19950 cum per annum (as per DEIAA EC), at Khasra No. 294 (Part), Village- Jamuniya, Tehsil- Jabalpur, Dist- Jabalpur (M.P.) By Shri Amar Mishra, Partner, Maa Sharda Mining and Crushing Company, Mandla Road, Saliwada Jabalpur (M.P.).

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **887वी बैठक दिनांक 25.04.2026** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तो एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रश्नाधीन प्रकरण में SEAC समिति के समक्ष किये गये प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया कि प्रकरण में उत्पादन क्षमता में विस्तार नहीं किया जायेगा पूर्व में DEIAA द्वारा जारी पर्यावरण स्वीकृति अनुसार ही उत्पादन क्षमता 19950 घनमीटर प्रतिवर्ष का ही उत्खनन किया जायेगा।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 887वी बैठक दिनांक 25.04.2026 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल द्वारा लीज नवीनीकरण पत्र क्र. 11698 दिनांक 04.09.2023 के माध्यम से दिनांक 11.07.2021 से 10 वर्ष की लीज नवीनीकरण की स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 10.07.2031 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **मानव बसाहट से न्यूनतम 200 मीटर एवं प्राकृतिक नाले से न्यूनतम 50 मीटर तक "नो माइनिंग जोन"** के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र से पूर्व में जारी DEIAA EC के अनुसार ही उत्पादन क्षमता 19950 घनमीटर प्रतिवर्ष का ही खनन किया जायेगा, इससे अधिक उत्पादन क्षमता की मात्रा निकाले जाने पर प्रकरण में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति स्वतः निरस्त मान्य होगी। इस शर्त का परिपालन सुनिश्चित कराने का उत्तरदायित्व जिला खनिज अधिकारी एवं क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का होगा।**

30/6/26

(सुधीर कुमार कोचर)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईएमपी रेस्क्यू प्लान में मेडिकल ट्राएज फैसिलिटी एवं मेडिकल इन्टरवेंशन फैसिलिटी का प्रावधान किया जायेगा एवं आपातकाल की स्थिति में प्रशिक्षित रेस्क्यू टीम और रेस्क्यू रूम का भी अनिवार्यत प्रावधान किया जायेगा है। उक्त शर्त का परिपालन कर छःमासी अनुपालन प्रतिवेदन के साथ मय दस्तावेजों के अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।

(v) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।**

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा बैरियर जोन को रिस्टोर कर वृक्षारोपण किये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाये एवं उक्त कार्य खनिज अधिकारी निगरानी में सुनिश्चित किया जाये।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन 01 माह में पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन SEIAA को प्रेषित किया जाये।

(viii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन के अंतर्गत उल्लेखित गतिविधियों के कियान्वयन हेतु क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उक्त राशि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) खातें में जमा की जावे। खनन् क्षेत्र के क्षेत्रफल व उत्पादन के आधार पर अनुपातिक राशि का निर्धारण जिलाध्यक्ष के स्तर पर किया जायेगा।**

(ix) **क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन** (Cluster EMP)**का समावेश ई.आई.ए. में किया जाना आवश्यक है। अतः एक** Site Specific Cluster EMP**को**EIA**के निष्कर्षों के आधार पर बनाया जाये, जिसे क्रियान्वित करने के लिये क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदान मालिकों की सहमति से एक** Environment Cell **का गठन किया जाये, जिसमें जिला प्रशासन, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथ क्लस्टर की सभी खदानों के प्रतिनिधि शामिल हो। इसी तरह सभी खदान मालिक मिलकर एक समिति का गठन करें, ताकि** Cluster EMP**के प्रावधानों तथा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन मिलकर कर सकें। इस समिति को सुचारू रूप से नियमित क्रियान्वित करने के लिये एक रूपरेखा तैयार की जाये, ताकि समिति के गठन तथा उसके क्रियाकलापों में आपसी समन्वय तथा पर्यावरण के कार्यों को सुचारू रूप से क्लस्टर में लागू करने में आसानी हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त के संबंध में संबंधित खदान मालिकों से सहमति लेकर उपरोक्त विषयों पर जिला प्रशासन से समन्वय कर एक माह के अंदर** Cluster EMP, **समिति के गठन इत्यादि के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये।**

30/6/26

(सुधीर कुमार कोचर)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला प्रशासन की निगरानी में खनिज विभाग के समन्वय से जिला स्तरीय अन्य संबंधित विभाग (जैसे वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग तथा ग्राम पंचायत आदि) के माध्यम से क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के कियान्वयन सुनिश्चित किया जावें एवं माईनिंग अधिकारी, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक 06 माह में प्रस्तावित क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेन्ट प्लान का अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन तथा राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

(xi) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

(xii) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(xiii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) करवाये जाने हेतु जिला कलेक्टर द्वारा जिला स्तर पर 02 वरिष्ठ अधिकारियों (जिसमें 01 अधिकारी वन विभाग को हो) को अधिकृत किया जावे जिनके द्वारा संयुक्त भौतिक सत्यापन कर अनुमति की शर्त अनुसार किये गये वृक्षारोपण की जानकारी अनिवार्यतः जिला कलेक्टर एवं जिला कलेक्टर के माध्यम से प्राधिकरण को उपलब्ध करावाई जाये।

(xiv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMSकी अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(xv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए किपूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(xvi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(xvii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEACकी अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा नजदीकी शासकीय स्कूल में जिला कलेक्टर्स से परामर्श कर आवश्यकतानुसार सामग्री अनिवार्यतः उपलब्ध कराई जावेगी।

30/6/26 30/6/26

(सुधीर कुमार कोचर)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र के गॉव व नजदीकी गॉव के शासकीय विद्यालय/शासकीय कन्या विद्यालय में बालिकाओं के लिये सेनेटरी पेड की वेन्डिंग मशीन की स्थापना अनिवार्यतः की जायेगी एवं 05 वर्ष तक रिफिलिंग का कार्य परियोजना प्रस्तावक द्वारा ही सुनिश्चित किया जायेगा।

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।

- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

30/6/26

(सुधीर कुमार कोचर)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

13. Proposal No. SIA/MP/MIN/547231/2025, Case No. 2105/2014 Prior Environment Clearance for i Murrum & Stone Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of 2.0 ha., For Production Capacity of Murrum 2526 cu.mt/year & Gitti – 1800 cu.mt/year & M-Sand 1800 cu.mt/year, at Khasra No. 478, Vill. - Mahuwakhedi Tehsil Shajapur, District- Shajapur (M.P.) By Shri Jagdish Gurjar, owner, Niwasi-Gram Bakani, Tehsil-Moh. Badodiya Dist. Shajapur (M.P.).

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **887वी बैठक दिनांक 25.04.2026** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 887वी बैठक दिनांक 25.04.2026 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल द्वारा लीज नवीनीकरण पत्र क्र. 13907-10 दिनांक 19.12.2024 के माध्यम से दिनांक 09.06.2024 से 10 वर्ष की लीज नवीनीकरण की स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 08.06.2034 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **देव स्थान से न्यूनतम 100 मीटर तक "नो माइनिंग जोन"** के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईएमपी रेस्क्यू प्लान में मेडिकल ट्राएज फैसिलिटी एवं मेडिकल इन्टरवेंशन फैसिलिटी का प्रावधान किया जायेगा एवं आपातकाल की स्थिति में प्रशिक्षित रेस्क्यू टीम और रेस्क्यू रूम का भी अनिवार्यत प्रावधान किया जायेगा है। उक्त शर्त का परिपालन कर छःमासी अनुपालन प्रतिवेदन के साथ मय दस्तावेजों के अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।

(iv) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।**

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा बैरियर जोन को रिस्टोर कर वृक्षारोपण किये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाये एवं उक्त कार्य खनिज अधिकारी निगरानी में सुनिश्चित किया जाये।

30.6.26

(सुधीर कुमार कोचर)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन 01 माह में पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन SEIAA को प्रेषित किया जाये।

(vii) **परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।**

(viii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) करवाये जाने हेतु जिला कलेक्टर द्वारा जिला स्तर पर 02 वरिष्ठ अधिकारियों (जिसमें 01 अधिकारी वन विभाग को हो) को अधिकृत किया जावे जिनके द्वारा संयुक्त भौतिक सत्यापन कर अनुमति की शर्त अनुसार किये गये वृक्षारोपण की जानकारी अनिवार्यतः जिला कलेक्टर एवं जिला कलेक्टर के माध्यम से प्राधिकरण को उपलब्ध करावाई जाये।**

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMSकी अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए किपूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEACकी अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा नजदीकी शासकीय स्कूल में जिला कलेक्टर्स से परामर्श कर आवश्यकतानुसार सामग्री अनिवार्यतः उपलब्ध कराई जावेगी।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र के गॉव व नजदीकी गॉव के शासकीय विद्यालय/शासकीय कन्या विद्यालय में बालिकाओं के लिये सेनेटरी पेड की वेन्डिंग मशीन की स्थापना अनिवार्यतः की जायेगी एवं 05 वर्ष तक रिफिलिंग का कार्य परियोजना प्रस्तावक द्वारा ही सुनिश्चित किया जायेगा।
- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

30.6.26

(सुधीर कुमार कोचर)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

14. Proposal No. SIA/MP/MIN/546524/2025, Case No P2/1902/2025 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of 2.0 ha., For Production Capacity of -Stone 5400 cum/annum, at Khasra No. 684, Jarkhisakrai, Tehsil-Polaykalan, District- Shajapur (M.P.) By Shri Ramesh Chandra Dangi, Lessee,R/o-Village Jarkhisakrai, Tehsil- Gulana, District-Shajapur, (M.P.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **887वी बैठक दिनांक 25.04.2026** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 887वी बैठक दिनांक 25.04.2026 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर द्वारा लीज नवीनीकरण पत्र क्र. 1721 दिनांक 05.11.2024 के माध्यम से दिनांक 09.06.2024 से 10 वर्ष की लीज नवीनीकरण की स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 08.06.2034 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **कच्ची सड़क से न्यूनतम 50 मीटर तक "नो माइनिंग जोन"** के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईएमपी रेस्क्यू प्लान में मेडिकल ट्राएज फैसिलिटी एवं मेडिकल इन्टरवेंशन फैसिलिटी का प्रावधान किया जायेगा एवं आपातकाल की स्थिति में प्रशिक्षित रेस्क्यू टीम और रेस्क्यू रूम का भी अनिवार्यत प्रावधान किया जायेगा है। उक्त शर्त का परिपालन कर छःमासी अनुपालन प्रतिवेदन के साथ मय दस्तावेजों के अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।

(iv) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।**

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा बैरियर जोन को रिस्टोर कर वृक्षारोपण किये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाये एवं उक्त कार्य खनिज अधिकारी निगरानी में सुनिश्चित किया जाये।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन 01 माह में पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन SEIAA को प्रेषित किया जाये।

30.6.26

(सुधीर कुमार कोचर) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

(vii) **परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।**

(viii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) करवाये जाने हेतु जिला कलेक्टर द्वारा जिला स्तर पर 02 वरिष्ठ अधिकारियों (जिसमें 01 अधिकारी वन विभाग को हो) को अधिकृत किया जावे जिनके द्वारा संयुक्त भौतिक सत्यापन कर अनुमति की शर्त अनुसार किये गये वृक्षारोपण की जानकारी अनिवार्यतः जिला कलेक्टर एवं जिला कलेक्टर के माध्यम से प्राधिकरण को उपलब्ध करावाई जाये।**

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMSकी अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए किपूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEACकी अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा नजदीकी शासकीय स्कूल में जिला कलेक्टर्स से परामर्श कर आवश्यकतानुसार सामग्री अनिवार्यतः उपलब्ध कराई जावेगी।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र के गॉव व नजदीकी गॉव के शासकीय विद्यालय/शासकीय कन्या विद्यालय में बालिकाओं के लिये सेनेटरी पेड की वेन्डिंग मशीन की स्थापना अनिवार्यतः की जायेगी एवं 05 वर्ष तक रिफिलिंग का कार्य परियोजना प्रस्तावक द्वारा ही सुनिश्चित किया जायेगा।
- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

30.6.26 | 30/6/26

(सुधीर कुमार कोचर) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

15. Proposal No. SIA/MP/MIN/571550/2026 Case No. P2/1698/2025 Prior Environment Clearance for Stone and Murrum Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of - 4.00 Ha., For Production Capacity of Stone - 50000 cum/year, M Sand 50000 cum/year and Murrum 21000 cum/year, at Khasra No. 241/1/2 (S), Village Sandla, Tehsil Badnawar, District Dhar (M.P) Shri Lakshya Raj Singh Sisodiya, Lessee, Village Piplipada (sandla) Tehsil Badnawar District -Dhar (M.P)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **884वी बैठक दिनांक 15.04.2026** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तो एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 884वी बैठक दिनांक 15.04.2026 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार द्वारा आदेश क्र. 1636 दिनांक 03.06.2025 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 02.06.2035 तक वैध मान्य रहेगी।

(ii) जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक का प्रयोग नहीं किया जायेगा एवं खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग ना किये जाने का प्रदर्शन डिस्प्ले बोर्ड पर किया जावे।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **वाटर बॉडी से न्यूनतम 100 मीटर तक "नो माइनिंग जोन"** के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के 500 मीटर की परिधि में स्थित जलीय निकाय (नदी, तालाब, नहर आदि) के पानी की गुणवत्ता की Physical, Chemical and Biological पैरामीटर्स का अध्ययन करवाकर अध्ययन रिपोर्ट छःमासी अनुपालन प्रतिवेदन के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत करें।

30/6/26 30/6/26

(सुधीर कुमार कोचर)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईएमपी रेस्क्यू प्लान में मेडिकल ट्राएज फैसिलिटी एवं मेडिकल इन्टरवेंशन फैसिलिटी का प्रावधान किया जायेगा एवं आपातकाल की स्थिति में प्रशिक्षित रेस्क्यू टीम और रेस्क्यू रूम का भी अनिवार्यत प्रावधान किया जायेगा है। उक्त शर्त का परिपालन कर छःमासी अनुपालन प्रतिवेदन के साथ मय दस्तावेजों के अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन के अंतर्गत उल्लेखित गतिविधियों के कियान्वयन हेतु क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उक्त राशि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) खातें में जमा की जावे। खनन् क्षेत्र के क्षेत्रफल व उत्पादन के आधार पर अनुपातिक राशि का निर्धारण जिलाध्यक्ष के स्तर पर किया जायेगा।

(ix) क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन (Cluster EMP)का समावेश ई.आई.ए. में किया जाना आवश्यक है। अतः एक Site Specific Cluster EMPकोEIAके निष्कर्षों के आधार पर बनाया जाये, जिसे क्रियान्वित करने के लिये क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदान मालिकों की सहमति से एक Environment Cell का गठन किया जाये, जिसमें जिला प्रशासन, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथ क्लस्टर की सभी खदानों के प्रतिनिधि शामिल हो। इसी तरह सभी खदान मालिक मिलकर एक समिति का गठन करें, ताकि Cluster EMPके प्रावधानों तथा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तो का पालन मिलकर कर सकें। इस समिति को सुचारू रूप से नियमित क्रियान्वित करने के लिये एक रूपरेखा तैयार की जाये, ताकि समिति के गठन तथा उसके क्रियाकलापों में आपसी समन्वय तथा पर्यावरण के कार्यो को सुचारू रूप से क्लस्टर में लागू करने में आसानी हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त के संबंध में संबंधित खदान मालिकों से सहमति लेकर उपरोक्त विषयों पर जिला प्रशासन से समन्वय कर एक माह के अंदर ClusterEMP, समिति के गठन इत्यादि के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला प्रशासन की निगरानी में खनिज विभाग के समन्वय से जिला स्तरीय अन्य संबंधित विभाग (जैसे वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग तथा ग्राम पंचायत आदि) के माध्यम से क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के कियान्वयन सुनिश्चित किया जावें एवं माईनिंग अधिकारी, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक 06 माह में प्रस्तावित क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेन्ट प्लान का अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन तथा राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

(xi) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

30/6/26

(सुधीर कुमार कोचर)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

(xii) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(xiii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ मॉ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) करवाये जाने हेतु जिला कलेक्टर द्वारा जिला स्तर पर 02 वरिष्ठ अधिकारियों (जिसमें 01 अधिकारी वन विभाग को हो) को अधिकृत किया जावे जिनके द्वारा संयुक्त भौतिक सत्यापन कर अनुमति की शर्त अनुसार किये गये वृक्षारोपण की जानकारी अनिवार्यतः जिला कलेक्टर एवं जिला कलेक्टर के माध्यम से प्राधिकरण को उपलब्ध करावाई जाये।

(xiv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMSकी अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(xv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए किपूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(xvi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(xvii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEACकी अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा नजदीकी शासकीय स्कूल में जिला कलेक्टर्स से परामर्श कर आवश्यकतानुसार सामग्री अनिवार्यतः उपलब्ध कराई जावेगी।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र के गॉव व नजदीकी गॉव के शासकीय विद्यालय/शासकीय कन्या विद्यालय में बालिकाओं के लिये सेनेटरी पेड की वेन्डिंग मशीन की स्थापना अनिवार्यतः की जायेगी एवं 05 वर्ष तक रिफिलिंग का कार्य परियोजना प्रस्तावक द्वारा ही सुनिश्चित किया जायेगा।
- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

30/6/26 30/6/26

(सुधीर कुमार कोचर)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

16. Proposal No. SIA/MP/MIN/415733/2023, Case No 9670/2023 Prior Environment Clearance for Bhadawar Dolomite Mines (Open cast semi mechanized method) in an area of 1.777 ha. For Production Capacity of -50704 Tones per annum at Khasra No. 640, 639, 649), Village-Bhadawar, Tehsil-Badwara, District-Katni (MP) by Shri Subhash Chand Bansal, Partner, R/o MIGII, Housing Board Colony, Near Shanti Nagar, District-Katni (MP)- 483773

उक्त प्रकरण में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (**NGT**) भोपाल द्वारा अपील नम्बर 12/2025 (मेसर्स यूनिवर्सल रिसोर्स विरूद्ध **MP-SEIAA**) में दिनांक **04.05.2026** को निम्नानुसार आदेश पारित किया गया है :–

".......On the basis of above discussion and legal provisions, our directions are as follows:-

(1) The Appeal is allowed and the impugned order dated 25.08.2025 is quashed and set-aside being in violation of and not in consonance with statutory provisions of EIA Notification, 2006, quoted above.

(2) The matter is remitted back to the SEAC to re-visit the matter with regard to the recommendation for grant of Environmental Clearance including the conditions which it has formulated and SEAC shall carry out the exercise within a period of one month from the date of receipt of certified copy of this order and after re-considering the matter, the matter should be finalized by the competent authority according to statutory provisions of EIA Notification, 2006, quoted above.

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि माननीय एनजीटी, भोपाल द्वारा अपील नम्बर 12/2025 में पारित आदेश दिनांक **04.05.2026** का परिपालन किये जाने हेतु प्रकरण SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

30/6/26	30/6/26	
(सुधीर कुमार कोचर) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

17. प्रकरण क्र. 7570/2020 परियोजना प्रस्तावक श्री राकेश बंसल आत्मज श्री कचरूमल बंसल, निवासी 13, रामकृष्णगंज, अनाज मंडी के पीछे, जिला खण्डवा (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 57000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 1189, 1190, 1214, रकबा 7.490 हेक्टेयर, ग्राम देशगांव, तहसील खण्डवा, जिला खण्डवा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

उक्त प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा **WP** नम्बर 22488/2023 (राकेश बंसल विरूद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य) में दिनांक 11.03.2026 को निम्नानुसार आदेश पारित किया गया है :–

"..........7. The State Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) is a key regulatory body in India, acting as the primary gatekeeper for environmental clearances at the state level. The authority operates under the Environment Protection Act, 1986 and the EIA Notification, 2006. Its main job is to decide whether a project should be allowed to proceed based on its potential environmental footprint.

8. We find substance in the submission made by learned senior counsel that the respondent No.3 be directed to reconsider the matter afresh independently without being influenced by the interim order passed by the Green Tribunal, which had already been quashed by the Kerala High Court in the case of M/s V.K. Rocks Pvt. Ltd. (supra).

9. Therefore, Annexure P-5, so far as it relates to the case of the petitioner for the grant of conditional Environmental Clearance, is quashed. Let the case of the petitioner for the grant of Environmental Clearance be considered afresh, independently, as discussed above, within a period of 60 days from today.

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा **WP** नम्बर 22488/2023 में पारित आदेश दिनांक 11.03.2026 के परिपालन में प्रकरण परीक्षण एवं अभिमत हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

30.6.26

(सुधीर कुमार कोचर)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

18. प्रकरण क्र. 79/2008 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स ए.सी.सी. लि. कैमोर सीमेंट वर्क्स, पो.आ. कैमोर, जिला कटनी (म.प्र) द्वारा लाईमस्टोन माईन (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 50,000 टन प्रतिवर्ष, खसरा नं. 81, 86, रकबा 5.82 हेक्टेयर, ग्राम बडारी, विजयराघौगढ़, जिला कटनी (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा 936वी बैठक दिनांक 09.02.2026 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

"..........राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि माननीय एनजीटी (सीजेड) द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.09.2022 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा द्वारा मेसर्स एसीसी सीमेन्ट लि. कम्पनी पर वर्ष 2014 से वर्ष 2018 तक बिना पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये गए उत्खनन हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रू. 2,30,20,000/- (रूपये दो करोड़ तीस लाख बीस हजार) का अर्थदण्ड (Panalty) अधिरोपित किया जाता है। तदानुसार म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं परियोजना प्रस्तावक को भी सूचित किया जाये। म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्राधिकरण के निर्णयानुसार अग्रिम कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

इसके साथ ही प्राधिकरण की 864वी बैठक दिनांक 20.01.2025 में लिये गये निर्णयानुसार मेसर्स ए. सीसी सीमेन्ट लि. द्वारा वर्ष 2009 से 2014 में पर्यावरण अनुमति के बगैर किये गए उत्खनन का नियमानुसार क्षतिपूर्ति आकलन किये जाने तथा 100 प्रतिशत पेनल्टी अधिरोपित किए जाने हेतु कार्यवाही पृथक से की जावे एवं कलेक्टर जिला कटनी को स्मरण पत्र प्रेषित किया जाये।

उक्त निर्णय के परिपालन में प्राधिकरण द्वारा मेसर्स एसीसी सीमेन्ट कम्पनी से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रू. 2,30,20,000/- (रूपये दो करोड़ तीस लाख बीस हजार) का अर्थदण्ड (Panalty) की राशि प्राप्त किये जाने हेतु पत्र कमांक 1731 दिनांक 02.03.2026 के माध्यम से सूचित किया गया था।

म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल द्वारा पत्र क्रमांक OD-324 दिनांक 18.05.2026 के माध्यम से सूचित किया गया है कि *"पर्यावरण क्षतिपूर्ति की बसूली की कार्यवाही भू–राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत संबंधित क्षेत्र के जिला कलेक्टर द्वारा की जाती है तथा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 में प्रदत्व शक्तियों में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यक्षेत्र में पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि की बसूली का कोई प्रावधान नहीं है। अतः प्रकरण में मेसर्स एसीसी सीमेन्ट लि. कम्पनी पर पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये बिना उत्खनन हेतु संयुक्त समिति द्वारा अर्धदण्ड अधिरोपित किया गया है इस हेतु जिला कलेक्टर कार्यालय कटनी से भू–राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत कार्यवाही किये जाना उचित होगा।"*

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के कार्यलयीन ज्ञापन दिनांक 28.07.2022 में उल्लेखित है कि " The matter has been examined in the Ministry, and it is hereby directed that the penalties levied as per the provisions of the above mentioned SoP shall be remitted by the project proponent into the fund which is maintained by the concerned State/UT Pollution Control Boards/Committees till further orders." के परिपालन में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अर्थदण्ड राशि (penaltiy) प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में ही जमा होगी।

30.6.26

(सुधीर कुमार कोचर)	(डॉ. सुमंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

अतः राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के कार्यलयीन ज्ञापन दिनांक 28.07.2022 के परिपालन में मेसर्स एसीसी सीमेन्ट लि. कम्पनी से पर्यावरण क्षतिपूर्ति अर्थदण्ड (**penaltiy**) राशि म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में ही जमा करवाये जाने हेतु सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पुनः पत्र प्रेषित किया जाये।

30-6.26 | 30/6/26

(सुधीर कुमार कोचर)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 953वी बैठक दिनांक 29.06.2026 का कार्यवाही विवरण

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दु :–

1. **SEIAA की 950वी बैठक दिनांक 02.06.2026 के कार्यवाही विवरण में सुधार –**

(i) प्राधिकरण की 950वी बैठक में प्रकरण कमांक पी2 / 1084 / 2025 के कार्यवाही विवरण के पैरा 3 में उल्लेख है कि "924वी बैठक दिनांक 23.12.2025 में रखते हुए" उक्त पैरा में 924 के स्थान पर 934 पढ़ा जावे इसी प्रकार दिनांक 23.12.2025 के स्थान पर दिनांक 02.02.2026 पढ़ा जावे। तदानुसार सुधार किया जावे। संबंधित स्टाफ को चेतावनी दी जाती है कि भविष्य में सम्यक सर्तकता बरती जावे।

(ii) प्राधिकरण की 950वी बैठक के प्रकरण क्रमांक पी2 / 2359 / 2026 के कार्यवाही विवरण के अंतिम पैरा में उल्लेख है कि "SEAC की 878वी बैठक दिनांक 24.03.2026" इसे 878 के स्थान पर 879 पढ़ा जावे एवं दिनांक 24.03.2026 के स्थान पर दिनांक 28.03.2026 पढ़ा जावे। तदानुसार त्रुटि सुधार किया जावे एवं संबंधित स्टाफ को चेतावनी दी जाती है कि भविष्य में सम्यक सर्तकता बरती जावे।

<u>अंत में बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।</u>

30/6/26 30/6/26

(सुधीर कुमार कोचर) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष